# कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2663 / री.ए.डी.एम / 2021 इन्दौर, दिनांक 11–6–2021

## // आदेश //

### ( अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 )

**विषय :–** **करोना संक्रमण को नियमित करने हेतु इन्दौर जिले में प्रभावशील विभिन्न प्रतिबंधों में शिथिलता बाबद्।**

**संदर्भ :–** **म.प्र.शासन गृह विभाग, के दिशा निर्देश दिनांक 29 मई 2021, इस कार्यालय का आदेश दिनांक 06.06.2021 तथा जिला क्राईसेस मेनेजमेंट समिति की आज दिनांक 11.06.2021 को रेसीडेंसी कोठी में हुई बैठक।**

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित दिशा निर्देश, इस कार्यालय के आदेश तथा जिला क्राईसेस मेनेजमेंट समिति द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों के तारतम्य में इन्दौर जिले में करोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों में प्रतिबंध प्रभावशील है। वर्तमान करोना संक्रमण की साप्ताहिक दर पांच प्रतिशत से कम होने तथा दैनिक पॉजिटिविटी दर डेढ़ प्रतिशत से कम हो जाने से आज दिनांक 11.06.2021 को राज्य शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में जिला क्राईसेस मेनेजमेंट समिति की बैठक सायं 07.00 बजें रेसीडेंसी कोठी में सम्पन्न हुई इस समिति द्वारा लिए गए निर्णय, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, The Epidemic Disease Act, 1897 एवं National Disaster Management Act-2005 अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया जा रहा है, जिसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।यह आदेश पूर्व सभी आदेशों को अधिक्रमित / निरस्त करते हुए जारी किया जा रहा है, जिसके तहत इन्दौर जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों तथा अनुमत्य गतिविधियां संचालित हो सकेंगी जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

## अ– प्रतिबंधित एवं सशर्त अनुमति वाली गतिविधियां–

**नोटः – निम्नानुसार सशर्त वाली गतिविधियां सायं 06.00 बजें तक ही खुल सकेंगी, केवल होटल / रेस्टोरेंट से सायं 06.00 बजें के बाद शटर बंद करते हुए एवं किचन चालू रखते हुए रात्रि 10.30 बजें तक टेक–अवे / होम डिलेवरी की जा सकेगी :–**

1. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है एवं सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन आदि गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधी प्रतिबंधित रहेगी किन्तु इनके व्यवसायिक कार्यालय खुल सकेंगे। इन संस्थानों में ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
3. विभिन्न **शापिंग मॉल खुल** सकेंगे किन्तु शापिंग मॉल के अंदर **प्ले-झोन, फूड-झोन, सिनेमा घर** आदि बंद रहेंगे।
4. सभी **धर्मस्थल/पूजा स्थल** पर एक समय में 04 से अधीक व्यक्ति उपलब्ध नहीं रह सकेंगे।
5. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला कलेक्टर कर सकेंगे।
6. अधिकतम 10 लोगों के साथ **अंतिम संस्कार** की अनुमति रहेगी।
7. **विवाह में दोनों पक्षों** को मिलाकर **अधिकतम 20 लोगों** के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रायोजन के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार **आयोजक को क्षेत्रीय एस.डी. एम. को अतिथियों के नाम की सूची कार्यकम के पूर्व प्रदाय** करना आवश्यक होगा। विवाह समारोह हेतु किसी प्रकार की **अनुमति पृथक से लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।**
8. प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। इस दिन केवल स्वास्थ्य संबंधी अत्यावश्यक सेवाऐं ही संचालित सकेगी। रविवार को समस्त कार्यालय, व्यवसायिक संस्थान फल/सब्जी विक्रय, मण्डी आदि सभी बंद रहेगें।
9. सम्पूर्ण जिले में रात्रि 11.00 बजें से प्रातः 06.00 बजें तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
10. सभी **रेस्टोरेंट, फूड झोन तथा मिठाई/नमकीन** के संस्थान इस शर्त पर संचालित हो सकेंगे कि वहां से **केवल टेक-अवे/होम डिलेवरी** किया जावेगा तथा यह सभी संस्थान **नो-ईटिंग झोन** के रूप में चिन्हित रहेंगे अर्थात इन संस्थानों पर रूक कर कोई भी व्यक्ति खाना पीना नहीं कर सकेंगा, केवल टेक-अवे ऑर्डर ले सकेंगा। **56-दुकान क्षेत्र** के आसपास 100 मीटर परिधि में **नो ईटिंग झोन** के रूप में रहेगी तथा इस परिधि में अगर कोई खाद्य पदार्थ गृहण करते पाया गया तो उसपे रूपये 500/- प्रतिव्यक्ति अर्थदण्ड नगर निगम आरोपीत कर सकेगा।
11. **जिम्नेशियम अपनी 50 प्रतिशत क्षमता** पर संचालित हो सकेंगे।
12. **चाय, पोहे, चाट,** इत्यादि के ठेले एवं संस्थान संचालित हो सकेंगे। किन्तु मौके पर इन संस्थानों से **टेक-अवे** दिया जा सकेगा अर्थात यह ठेले एवं संस्थान भी **नो-ईटिंग झोन** के रूप में कार्य करेंगे।
13. **चौईथराम फल/सब्जी एवं फूल मंडी, निरंजनपुर सब्जी मंडी** प्रारंभ हो सकेगी किन्तु चौईथराम मंडी के बाहर **ठैले विकय नही कर सकेंगे।** शहर में फल-सब्जी की स्थाई दुकानों से एवं चलाये मान ठेलों के माध्यम से ही बिक सकेगी।
इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र तथा सम्पूर्ण इन्दौर जिले में हर प्रकार के हॉट बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

14. सभी श्रेणी के **निजी कार्यालय 50 प्रतिशत स्टॉफ क्षमता** पर संचालित हो सकेंगे।
15. समस्त **सैलून** व्यवसायी एक से अधीक कूर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दो–गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे। सैलून के अंदर फिजिकल रूप/वेटिंग के रूप में बैठना प्रतिबंधित रहेगा।
16. समस्त होटल/सैलून इत्यादि स्थानों पर संचालित **स्पॉ सेंटर/कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित** रहेगा।
17. विभिन्न **बी.पी.ओ.** की नाईट शिफ्ट संचालित हो सकेगी।
18. **रूल ऑफ सिक्स** :– अनुमत्य गतिविधियों के अलावा 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

## ब– प्रतिबंधों से मुक्त गतिविधियां :–

**नोट – इस कंडिका में उल्लेखित गतिविधियां भी सोमवार से शनिवार सायं 06.00 बजें तक संचालित हो सकेगी। सायं 06.00 बजें के उपरांत सभी संस्थान/कार्यालय, व्यवसायिक संस्थान अनिवार्यतः बंद किए जावेंगे।**

1. **कण्डिका अ–"प्रतिबंधित एवं सशर्त अनुमति वाली गतिविधियां", में उल्लेखित गतिविधियों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां सम्पूर्ण जिले में सोमवार से शनिवार प्रातः 06.00 बजें सायं 06.00 बजें तक संचालित हो सकेंगी। सायं 06.00 बजें उपरांत सभी प्रकार के संस्थान, व्यवसायीक क्षेत्र, कार्यालय, क्लब, शो–रूम इत्यादि बंद किया जाना अनिवार्य रहेगा।**
2. औद्योगिक गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट गतिविधियां, गोडाउन गतिविधियां, सुबह/शाम दूध वितरण, समस्त प्रकार चिकित्सा संस्थान/सुविधाएं, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय अत्यावश्यक सेवाएं, फायर सर्विसेस, मीडियाकर्मी आदि के आवागमन एवं संचालन में **रविवार को भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा**। इसके अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगी।

## स– करोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु आवश्यक बाध्यकारी उपाय :–

1. विभिन्न बंद कॉलोनी के रहवासी संघ, विभिन्न बाजार एसोसिएशन, मॉल संचालक, मंडीयां, मल्टी काम्पलेक्स में रहवासी/व्यवसायिक संघ, क्लब संचालक, धर्मस्थल, कार्यालय आदि अपने स्तर पर यह निर्णय ले सकता है कि जो भी **कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है, उसे वेक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा**। अपने बंद क्षेत्र में कोविड संक्रमण से सुरक्षा हेतु उठाए गए इन निजी प्रयासों को **प्रशासन एवं पुलिस आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।**
2. सभी व्यवसायिक क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्र जहां ज्यादा संख्या में आवाजाही रहती है, जैसे मंडी, 56 दुकान, सियागंज/महारानी रोड़, छावनी क्षेत्र, मल्हारगंज, समस्त श्रेणी के हाथ ठेला संचालक, सभी श्रेणी के वाहन चालक, डिलेवरी बॉय आदि की **नियमित रूप से सेम्पलिंग सम्पूर्ण जिले में थानावार की जाए**। जिले में स्थित समस्त थाना के क्षेत्रीय एस.डी.एम. एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा उनके साथ संलग्न स्वास्थ्य की टीम सेम्पलिंग का यह कार्य प्रतिदिन सुनिश्चित करेंगी।

3. क्षेत्रीय एस.डी.एम. उनके अधीन व्यवसायिक क्षेत्रों में यहां के व्यवसायिक संघों को आवश्यक मद्द करते हुए **वेक्सीनेशन केम्प, वेक्सीन की उपलब्धता अनुसार सुनिश्चित करवाएगें** ताकि सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी/व्यापारी का सत–प्रतिशत वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से हो जाए।
4. स्थानीय संबंधित विधायक एवं पूर्व पार्षद के मार्ग दर्शन में **प्रत्येक वार्ड/गांव में काईसेस मेनेजमेंट समिति कार्यरत है।** सभी क्षेत्रीय एस.डी.एम. एवं सी.एस.पी. यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक गांव एवं वार्ड में यह समिति सक्रिय रहकर रहवासियों को ठीक ढंग से मास्क पहनने तथा वेक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित एवं जागरूक करेंगे। इस हेतु **प्रत्येक थाने में भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी तथा स्थानीय निकायों का दल गठित है,** वह अपने क्षेत्र में घूम कर मास्क एवं वेक्सीन के लिए आमजन को प्रेरित करते हुए पालन करवाऐंगे।
5. सभी क्षेत्रीय एस.डी.एम. एवं सी.एस.पी. अपने प्रत्येक थाना क्षेत्र में विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हे समझाईश देंगे कि कोई भी **दुकानदार बिना मास्क पहने नहीं रहेगा तथा ऐसे किसी भी ग्राहक से संव्यवहार नहीं करेगा जो मास्क नहीं पहना है अथवा मास्क नीचे करके मौजूद है।**
6. जिला स्तर पर **साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर की मॉनिटरिंग की जावेगी** तथा अगर पॉजिटिविटी दर बढती है तो उसमें जिला काईसेस मेनेजमेंट समिति तत्काल आवश्यक निर्णय लेगी। विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों/बाजारों के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि अगर उनके **बाजार में कोई व्यक्ति पॉजीटिव आता है तो उस संस्थान को सात दिवस के लिए बंद करेंगे।**
7. इस जिले के प्रत्येक नागरिक कि जिम्मेदारी होगी की कोविड हेतु सेम्पल लेने में **स्वास्थ्य अमले को सहयोग करेंगा।** किसी भी **व्यक्ति के मना किए जाने** पर इस आदेश के उल्लघंन स्वरूप वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा ऐसे संस्थान को क्षेत्रीय एस.डी.एम. सील कर सकेंगे।

यह आदेश दिनांक 12.06.2021 से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश **दिनांक 11/06/2021** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

**(मनीष सिंह)**
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 2663 / री0ए0डी0एम0 / 2021
इन्दौर, दिनांक 11–6–2021

**प्रतिलिपि :–**

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर

7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, झोन –1–2–3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
11. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ................................................., इन्दौर
12. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13. थाना प्रभारी, थाना.....................................................जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
14. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

**कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,**
**जिला इन्दौर.**